

तारीख  
हुक्म

10/11/19

वादी अधिवक्ता उप.

अपार्थी अधिवक्ता को

कई अवसर दिए जाने के पश्चात् भी जवाब  
प्राप्त न हो सका। इससे ऐसा प्रतीत होता  
है कि वह जवाब पेश नहीं करना चाहे है।

अतः मुल वाद के निस्तार हेतु प्राथमिक व  
अप्राथमिक दोनों मामल जालोडा तहसील लोखवट

अतः ख. न. 729 शकबा 101 कीमा 17 बिस्वा भूमि

के ~~बाद~~ बाजबंद रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए  
रखा।

पगावली केसल शुमार धेकर नम्वर से

एक कद धेकर मुलवाद् पगावली के साथ सलोक  
कि जाये।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक  
(फास्ट टैंक) फलादी